न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांवा (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– हरि सिंह लम्बोरा, आर.ए.एस.

वादी :–

भंवरलाल पुत्र तेजमल

महाजन सा. गुढासाल्ट

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अनोपदेवी पुत्री दानमल पत्नी सीताराम सा0 बूंदी
2. नरकलदेवी पुत्री दानमल पत्नी भगवतीप्रसाद सा.अजमेर
3. टीलू उर्फ शिवकुमार पुत्र नंदकिशोर सा. बूंदी
4. कैलाश पुत्र चेतराम सा. मोडक जिला कोटा
5. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नांवा
6. मोहनीदेवी पत्नी बालूराम जाट सा. बनगढ
7. पदमादेवी पत्नी हुनमानाराम जाट सा. बनगढ

दावा बाबत :– खातेदारी अधिकारो की घोषणा

उपस्थित :– श्री देवीसिंह वकील वादी
श्री महावीर प्रसाद वकील प्रतिवादी 1 से 6

मुकदमां नम्बर :– 206 / 1993

निर्णय दिनांक :– 27.02.2018

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि ग्राम गुढासाल्ट के खसरा नम्बर 175, 284, 292, 293, 298, 299 कुल रकबा 7.93 हैक्टयर भूमि स्थित हैं उक्त आराजीयत पूर्व में स्व. दानमल पुत्र लादूराम कयाल निवासी गुढासाल्ट व उसके सगे भाई वादी के पिता स्व. तेजमल कायम पुत्र लादूराम के कबजे काश्त व खातेदारी की भूमि रही हैं वादी के पिता तेजमल अपने जीवनकाल में संयुक्त शामिल रहते थे वादी के माता पिता का देहानत वादी के बचपन में ही हो गया था तब वादी का लालन पालन स्व. दानमल व उनकी पत्नी स्व.रामप्यारी ने ही किया था जिससे वादी के बड़े पिता स्व. दानमल जी कर्ता खानदान होने से सम्पूर्ण भूमि उनकेनाम ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गयी। वादी अपने माता पिता के देहान्त के बाद स्व. दानमल जी व उनकी पत्नी स्व. रामप्यारी के साथ ही निवास करता रहा हैं व स्व. दानमल जी ने अपने पुत्र की तरह ही वादी को रखा हैं स्व. दानमल जी का स्वर्गवास वर्ष 1980 में तथा स्व. रामप्यारी का स्वर्गवास दिनांक 13.06.1992 को हो गया हैं जिसमें समस्त कियाकर्म रस्में आदि वादी ने ही बतौर पुत्र की हैसियत से की हैं स्व. दानमल जी ने अपनी समस्त

उपखण्ड अधिकारी
नांवां (नागौर)

चल अचल सम्पति बाबत एक वसीयतनामा वादी के पक्ष में दिनांक 15.10.77 को निष्पादित कर दिया था जिसमें वादी को अपना लड़का मानते हुऐ उनकी मृत्यु के बाद उनकी समस्त भूमि सहित समस्त सम्पति का मालिक वादी को घोषित किया एवं यह भी अंकित किया कि मेरी पत्नी रामप्यारी जीवित रहेगी तब तक उक्त सम्पति की मालिक वह रहेगी तथा उसकी मृत्यु के बाद समस्त सम्पति का मालिक वादी रहेगा जिससे स्व. दानमल जी के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि में पहले रामप्यारी का नाम दर्ज हुआ था लेकिन उक्त भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त रहा हैं। स्व. रामप्यारी का स्वर्गवास होने पर उसके कियाकर्म में प्रतिवादीगण को वादी द्वारा बुलवाया गया जिसके बाद ग्राम में वादी के विरोधियों के बहकावे में आकर प्रतिवादीगण ने वादी के पीठ पिछे बाले बाले खातेदारी में अपने आप को रामप्यारी के वारिस बता कर खातेदारी दर्ज करवा ली तथा खातेदारी दर्ज करवाने के बाद प्रतिवादी 5, 6 को भूमि का बैचान कर दिया। उक्त बेचान के आधार प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा हैं तथा वसियत के आधार वादी के नाम राजस्व कर्मचारियों को खातेदारी दर्ज करने की कहने पर उनके द्वारा इन्कार करने पर यह वाद पेश किया है। वादी ने वाद पेश कर उक्त विवादित भूमि में से प्रतिवादीगण का नाम हटाया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किऐ जाने की इस्तदुआ की है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 से 6 ने जवाब पेश कर वादी के वाद पत्र को अस्वीकार करते हुऐ निवेदन किया है कि वादी कभी भी स्व. दानमल एवं स्व. रामप्यारी के साथ नहीं रहा हैं वादी के माता पिता का स्वर्गवास होते ही वादी अपने नजदीकी रिशतेदारो के पास अजमेर चला गया था स्व. दानमल जी व उनकी पत्नी के कियाकर्म वादी ने नहीं किऐ न ही कभी वादी उनके साथ रहा हैं प्रतिवादीगण के पिता ने कभी भी कोई वसियत वादी के पक्ष में नहीं की हैं दिनांक 15.10.1977 में प्रतिवादीगण के पिता सख्त ही बीमार चल रहे थे जो बिस्तर पर ही अपने पैतृक गांव गुढा साल्ट में ही लेटे रहते जो चलने फिरने की स्थिति में नहीं थे प्रार्थी के पक्ष में वसीयत करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। स्व. दानमल जी के वारिसान में केवल उनकी पत्नी एवं पुत्रियां रही हैं वादी मात्र प्रतिवादीगण की जमीन हड़पने की नियत से झूठा वाद पत्र पेश किया हैं दिनांक 15.10.1977 को स्व. दानमल जी द्वारा वसीयत करना बताया हैं जबकि स्व. दानमल जी अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में कोई वसीयात नहीं की है वादी ने उक्त वसीयत फर्जी कुट रचना से तैयार की गइ हैं जो एक एफ.एस.एल. की जांच में उक्त वसीयत को फर्जी माना गया हैं जिसमें दिनांक 25.08. 2007 को वादी ने अग्रीम जमानत भी करवाई गई हैं जिससे का वाद पूर्णतया मनघडन्त तथ्यों पर झूठा साबित होता हैं जिससे वाद पत्र खारिज योग्य है। शेष प्रतिवादीगण के सम्मन तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एंक पक्षीय कार्यवाही की गई है।

तनकीयात कायम की गई। तत्पश्चात साक्ष्य वादी में वादी स्वंय एवं गवाह सीताराम, ओमप्रकाश, रामपाल मिश्रा के बयान लिऐ गये साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी अनोपीदेवी के बयान लिऐ गये ओर साक्ष्य बार बार समय दिया जाने के बावजूद पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तवेजात का अवलोकन किया जाकर वाद का तनकीवार निर्णय इस प्रकार से हैं कि:–

1– आया ग्राम गुढा साल्ट के गत खसरा नम्बर 62, 68, 74 कुल रकबा 48–19 बीघा के नये खसरा नम्बर 175, 284, 292, 293, 298, 299 कुल रकबा 7.93 हैक्टयर भूमि के खातेदारी अधिकार पाने का वादी अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जिसकी तायद में वादी ने ग्राम गुढासाल्ट की जमाबन्दी सम्वत 2061–64 पेश की हैं जिसके अनुसार खसरा नम्बर 175, 284, 292, 293, 298, 299 कुल रकबा 7.93 हैक्टयर भूमि अनोपीदेवी पुत्र रामप्यारी, नरकलदेवी पुत्री रामप्यारी, टीलू पुत्र कन्दकिशोर, कैलाश पुत्र भंवरलाल जाति महाजन सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। वादी ने रामप्यारी पत्नी दानमल के स्वर्गवास के बाद फौतगी नामान्तकरण 114 की प्रति पेश की हैं जिसमें नामान्तकरण रामप्यारी की पुत्रीयों के नाम स्वीकृत किया गया जिसकी प्रति पेश की हैं जिसमें नामान्तकरण श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर डीडवाना के निर्णय दिनांक 31.10.2000 के द्वारा नामान्तकरण पर पारित आदेश निरस्त किया जाकर पुनः निर्णय करने का आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत रिकार्ड से स्पष्ट हैं कि उक्त भूमि पूर्व में स्व. दानमल एवं उसके स्वर्गवास के बाद स्व. रामप्यारी तथा उसके स्वर्गवास के बाद अप्रार्थीगण 1 से 4 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड रही हैं। प्रतिवादीगण शूरू से ही उक्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रहे हैं जिनको अपने हक हिस्से की भूमि का बैचान करने या अन्य उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार हैं प्रतिवादी 1 से 4 भूमि के रिकार्डेड खातेदार एंव पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि रही हैं जिसमें वादी का कोई कब्जा काश्त व हक हिस्सा रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया हैं। वादी ने अपने वाद पत्र में खातेदार स्व. दानमल द्वारा दिनांक 15.10.1977 को की गई वसियात के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही गई हैं उक्त तथाकथित वसियाके के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वादी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज हुआ हैं तथा इस वसियात की ए.एफ.एस.एल. हुई हैं जिसमें उक्त वसियत पर स्व. दानमल के हस्ताक्षर या अगुंठा होना प्रमाणित नहीं हुआ हैं रिपोर्ट के अनुसार उक्त दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किया जाना माना हैं जिसमें चालान पेश होने पर वादी द्वारा अपनी अग्रीम जमानत करवायी गई है विवादित आराजीयत वादी के पिता एवं प्रतिवादीगण के पिता की शामलाती भूमि रही हैं ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया हैं केवल मात्र वसियत के आधार पर वादी खातेदारी अधिकारो की घोषणा चाही हैं उक्त वसियत स्व. दानमल द्वारा किया नहीं की गई उक्ट दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किया गया हैं एवं सिविल न्यायालय से उक्त वसियत को फर्जी दस्तावेज मान कर निर्णय पारित किया है, जिससे उक्त विवादित भूमि बाबत वादी के समस्त अधिकार व हकूक समाप्त हो चुके हैं जिससे तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

2– आया [illegible] विवादित भूमि की वसीयत दानमल ने वादी के नाम की उसके आधार पर भी वादी खातेदारी पाने का अधिकारी है तथा वादी उक्त आराजी पर काबिज हैं।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय से स्पष्ट हो चुका है कि उक्त वसियत फर्जी रूप से तैयार की गई हैं जिससे यह तनकी स्वंत ही के विरूद्ध हैं।

3– आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का कानूनी अधिकारी है।

इस तथ्य को साबित करने का भार वादी पर था लेकिन वादी ने ऐसा कोई दस्तावेजा साक्ष्य पेश नहीं किया हैं जिससे विवादित भूमि पर वादी या वादी के पूर्वजों का कब्जा काश्त व खातेदारी दर्ज रही हैं शूरू से ही प्रतिवादीगण के पिता दानमल एवं उनकी पत्नी रामप्यारी उसके बाद प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही हैं प्रतिवादीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार रहे हैं जिनके विरूद्ध कानूनन वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाबने का अधिकारी नहीं है। जिसकी वजह तनकी संख्या 3 वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार तीनों तनकी वादी साबित करने में असफल रहा हैं जिससे विवादित भूमि पर वादी को कोई अधिकार व हकूक प्राप्त नहीं होते हैं केवल मात्र तथाकथित फर्जी दस्तावेज तैयार कर वादी खातेदारी आदि की घोषणा चाही हैं। जिसके आधार पर वादी खातेदारी पाने का अधिकारी नहीं हैं उक्त वसियत को सिविल न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा चुका है। जिससे वादी का वाद साबित नहीं होता है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 27.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि सिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी, नावा